संख्या-12/2015-1373/58-2015-437/2013

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 14 जुलाई,2015**

विषयः **जनपद महोबा में पान अनुसंधान केन्द्र को विकसित कराये जाने हेतु अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आय-व्ययक 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-64-65/बजट-आयोजनागत/2015-16, दिनांक 12.6.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महोबा में पान अनुसंधान केन्द्र को विकसित कराये जाने हेतु आय-व्ययक 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0-9943 हजार (रूपये-निन्यानबे लाख तैतालिस हजार) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान सं0	**लेखाशीर्षक/योजना/मानक मद**	**प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
10	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-		
	108-वाणिज्यिक फसलें-		
	03- पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा 24- वृहत निर्माण कार्य 26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	9831 112	9831 112
	कुल योग	**9943**	**9943**

(रूपये-निन्यानबे लाख तैतालिस हजार) मात्र

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त पान अनुसंधान केन्द्र को विकसित कराने हेतु उपरोक्तानुसार प्रदान की गयी रू0-99.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदान किये जाने के फलस्वरूप रू0-99.43 लाख (रूपये-निन्यानबे लाख तैतालिस हजार) मात्र के व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति भी अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण योजना के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार फेजिंग करते हुए आवश्यक्तानुसार किया जाय।

(2) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उपलब्ध कराये गये आगणन का परीक्षण निदेशालय स्तर पर कर लिया जायेगा।

(3) प्रकरण में निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक/लागत के अनुसार ही कराये जायेंगे। अवमुक्त की गयी धनराशि पूर्व नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, (कार्यदायी संस्था पैकफेड) को दो समान किश्तों में दी जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग हो जाने तथा कराये गये कार्यों की जांचोपरान्त गुणवत्ता मानक के अनुरूप होने पर ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य एवं मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र का क्रय, शासन के अद्यतन सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, उद्यान/वित्त नियन्त्रक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(6) जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(9) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने के पूर्व भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के अद्यतन सुसंगत नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231 /2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या: 12/2015-1373(1)/58-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, महोबा।
(3) कोषाधिकारी, महोबा।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, झांसी।
(8) जिला उद्यान अधिकारी, महोबा।
(9) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, 19 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
(10) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, कार्यदायी संस्था पैकफेड। (निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से)
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।